□□□□ □□□□□

स्□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्रा□□□

स्□□स्थ्य और परिवार कल्या□ f□□□□

□□□ □□□

तारांकित प्रश्न □ख्□□: 398.*

19 □□□□, 2019 **को पूछे जाने वाले प्रश्न □□ □त्त□□**

मानसिक स्वास्थ्य परिचया अधिनियम, 2017

*398. **श्री□ f□□□ □□□□**

क□□ **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** □त्री□ □□ बताने का कृपा करगे किः

(क) क्या मानसिक स्वास्थ्य परिचया अधिनियम, 2017 □□□ □□□ □□,□f□ □□,□□ तत्संबंध्□ी ब्यौरा क्या है और यदि नहां तो इसके क□□ □□□□ □;

(□) क□□ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू□□□) ने भारत को विश्व म सर्वाधि□ □□□□□ग्रस्□ □□ □f□□ f□□□ □□□□ □f□ □□,□□□ □□ □□ सरकार का क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणां का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन/विश्लेषण किया है, □f□ □□,□□ □त□□□□ ब्यौरा और निष्कष क्या हो; □□

(घ) क्या मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारा सभी बीमा/चिकित्सा दावा योजनाओं के अंतगत □□□ □□□□ □□□□ □f□ □□,□□ □त□□□□ ब्यौरा क्या □□□□ □□□□□ द्□□□ □□ □□□ □ □□□ □□□□ □□f□□i द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क□□ □□□ □□□□ □□ □?

स्□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्री□ (□. □□□□□)

(□) □□(□): f□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□ f□□□ □□□ □□

****

ि□□□ 19.07.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न □ख□ 398 □□□त□र म उल्लिखित विवरण

****

(□): □□ि□□ स□स्थ्य परिचया अधिनियम, 2017 तथा इसके तहत निर्मित नियमावली ि□□□ 29 □□ 2018 को लागू हुआ। अधिनियम का उद्देश्य □स□□ं □□ □□□□ □ स□स्थ□ परिचया की प्रदानगी के दौरान □□ि□□ □□ □□□व□क्तियों के अधिकारों की सुरक्षा □□□ □□ संवर्द्धन करना है। यह बेहतर जन स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अधिकार आधारित प्रे□□□ □□ □□□ □□ि□□ □□ □□□व□क्तियों को स्वास्थ□ परिचया, □□□□ □□□□□□□ □□ □□ सुनिश्चित करता है। अधिनियम की विशेषताएं निम्न□□ □:

- इस तरीके का उल्ले□ □□□□□□□ग्रि□ ि□शानिदश कि जि□□ व□क्ति अभिलाषा करता □□□□ □□□ □□□ □ि□ए और परिचया कैसे की जानी चाहिए तथा मानसिक रोग का उपचार कैसे किया जाना चाहिए।
- उपचार संबंधी निणय करने म मानसिक रोग वाले व्य□क्ति□ □□ □□□□ प्र□□ □□□□□□ लिए प्रतिनिधि का □□□□□□
- मानसिक स्वास्थ□ परिचया तक पहुंच, □□□□ □ □□□, व्रू□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□ व□□□□ □□□□क्ष, □□□□□□ □□ □□□□, □□□□ □□□□□, □□□□□ व□□स□ म खामियों के बारे म शिकायत करने आदि हेतु मानसिक रूप से बीमार व□क्तियों के अधिकार।
- केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं राज्य □□ि□□ स□स्थ□ प्रा□□□□ं □□ □□स□ं, □□ि□□ स□स्थ□ समीक्षा बोर्डो के सदस्यों □□ □□ ि□□□□ प्र□□□□ □□□ मानसिक रूप से बीमार व्य□क्ति□, प्रतिनिधि के रूप म नियुक्त ि□□ □□ □□□□ □□
- □□क्ट्रो-कनवल्सिव थैरेपी और साइको सजरी के प्रयोग पर प्रतिबंध।
- □त□ □त□ □□□□□□प्र□□ □□ □□□□□□□□□□

(ख) और (ग): विश्व स□स्थ्य □□□□ □ी 2017 □ □□ी '□प्रे□□ □□ □□ □□□□ ि□□□□ ग□□□ □ल□ □स□ि□ट□' नामक रिपोट के अनुसार भारत म अवसादी विकारों की अनुमानित व□ष□□□ □□ □□□□ख□ □□ 4.5% □□ □□ ि□श□ म सर्वाधिक नहीं है। इसके अलावा राष्ट्री□ □□ि□□ स□स्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था□, □□□□ द□□□ 26 ि□□□, 2016 □□ □□ी

राष्ट्रीय मार्नासक स्वास्थ्य सवक्षण रिपोट के अनुसार भारत म अवसादी विकारों की व्याप[illegible] [illegible] रू[illegible] [illegible] [illegible]ख[illegible] [illegible] 2.7% [illegible]

(घ): मार्नासक स्वास्थ्य परिचया अर्धानयम, 2017 [illegible] [illegible] 21(4) [illegible] [illegible], प्रत्ये[illegible] बीमाकता उसी आधार पर मार्नासक बीमारी के उपचार के लिए र्चिकित्सा [illegible] [illegible]प्र[illegible] करेगा जैसा शारीरिक बीमारी के उपचार के लिए उपलब्ध [illegible] विकास प्राधिकरण ने दिनांक 16 [illegible]स[illegible], 2018 के आदेश के जरिए सभी बीमा कंपनियों को [illegible] स[illegible]स्थ्य परिचया अर्धानयम, 2017 [illegible]क[illegible] प्र[illegible] [illegible]

****